राजस्व वाद 261/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/545
सीता देवी बनाम् अमानाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्या : 261/2021

1. सीता देवी पत्नी अम्बालाल, उम्र वयस्क, जाति–खटीक, निवासी–जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अमानाराम पुत्र गोविन्दराम
2. खींयाराम पुत्र भंवरलाल
3. जगदीश पुत्र भंवरलाल
4. जोधाराम पुत्र भंवरलाल
5. प्रतासी पत्नी भंवरलाल
6. सुजाराम पुत्र भंवरलाल
7. बंशी पुत्र पाबुराम
   जातियान–राईका, निवासीगण–जायल, तहसील–जायल, नागौर।
8. प्रताप कंवर पत्नी दशरथसिंह , जाति–राजपूत, निवासी–जायल, जिला–नागौर।
9. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल *

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से।
4. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 11/7/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीनी ने निवेदन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त कब्जे काश्त सहखातेदारी में भूमि मौजा जायल तहसील जायल के खेत खसरा नं. 1590 रकबा 0.3399 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित अनुसार वादीनी का 1/7 वां हिस्सा अर्थात 0.0485 हैक्टेयर है। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का भूमि पर अलग–अलग निंवा सींवा कब्जा काश्त रहता रहा है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 वादीनी के हक बंट की भूमि को अलग–अलग खातेदारी में दर्ज करवाने में सहमत नहीं है जिससे वादीनी को यह वादपत्र अपने हक हिस्से की भूमि को अलग करवाने बाबत् यह वादपत्र पेश करना लाजमी हुआ है। वादीनी के हक हिस्से की भूमि से चिपता पूर्वी तरफ 12 फीट चौड़ा व खेत के उतर दक्षिण लम्बाई का रास्ता है जो प्रतिवादी संख्या 8 के बंट की

11/7/2022
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

भूमि में से प्रतिवादी संख्या 8 के उपयोग एवं उपभोग हेतु रास्ता होकर पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 8 के बंट की रास्ता की भूमि सहित रकबा 0.1294 हैक्टेयर हक बंट की है। तथा प्रतिवादी संख्या 8 के पूर्व की तरफ की शेष भूमि रकबा 0.1620 हैक्टैयर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त हक बंट की भूमि है। वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा वादपत्र का अभिन्न भाग है। प्रतिवादी संख्या 7 बंशी को खातेदारी में नाबालिक दर्ज किया हुआ है परन्तु बंशी वर्तमान में करीब 40 वर्ष की आयु का है जिससे प्रतिवादी बंशी को प्रकरण में वयस्क हो जाने से वयस्क पक्षकार बनाया गया है तथा उक्त खेत खसरा नंबर 1509 में दर्ज खातेदार मोकली की मृत्यू हो चुकी है जिससे उसको पक्षकार दर्ज नहीं किया गया है। मोकली के वारिसान् प्रतिवादी संख्या 1 से 7 है। अतः वाद पत्र के पैरा संख्या 11 इस्तदुआ अनुसार वादीनी सीता देवी के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0.0485 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 8 प्रताप कंवर पत्नी दशरथसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0.1294 हैक्टेयर वादीनी के हक बंट से चिपता पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0.1620 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 8 से चिपता पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। अतः पैरा संख्या 11 अनुसार अलग–अलग बंट किया जाकर डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ने दिनांक 18.05.2022 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीनी की पहचान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने की तथा प्रतिवादी संख्या 8 की पहचान अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद सम्मन तामिल हाजिर नहीं हुवे इसलिये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त है , जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होनें राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्व एकपक्षीयक कार्यवाही अमल में लाये जाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 9 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह सीता देवी पत्नी अम्बालाल के पेश हुवे तथा , नकल जमाबन्दी ग्राम जायल तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 2698 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीनी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

9 राजपैरोकार की तामिल हो चुकी है जो वाद पत्र में परफोंमा पक्षकार है जिन्होने राजहित सुरक्षित रखते हुवे अनापति जाहि की है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीनी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज एवं नजरीनक्शानुसार अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 8 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 18.05.2022 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीनी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब एवं प्रतिवादीसंख्या 1 से 7 के विरूद्व की गई एक पक्षीय कार्यवाही पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 18.05.2022 में वादीनी तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है तथा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा जायल के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार खातेदारी घोषणा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा वादीनी सीता देवी के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0.0485 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 8 प्रताप कंवर पत्नी दशरथसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0.1294 हैक्टेयर वादीनी के हक बंट से चिपता पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0. 1620 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 8 से चिपता पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार वाद पत्र इस्दुआ के सहमति से जरिये ईकबाली जबाब बटवाड़ा चाहा गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में उनके हक हिस्से की भूमि माफिक नजरीनक्शानुसार

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

रखी गई है। अतः मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1509 रकबा 0.3399 भूमि का विभाजन वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 सहखातेदार के मध्य जरिये सहमति एवं ईकबाली जबाब अनुसार घोषणा खातेदारी की जाकर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1509 रकबा 0.3399 भूमि का बंटवाड़ा वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 सहखातेदार के मध्य जरिये सहमति एवं ईकबाली जबाब अनुसार घोषणा खातेदारी की जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीनी सीता देवी के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0.0485 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0.1620 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 8 से चिपता पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 8 प्रताप कंवर पत्नी दशरथसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0.1294 हैक्टेयर वादीनी के हक बंट से चिपता पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादपत्र में संलग्न नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग है।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 11/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

11/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

राजस्व वाद 261/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/545
सीता देवी बनाम् अमानाराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 261/2021

वादीगण–

1. सीता देवी पत्नी अम्बालाल, उम्र वयस्क, जाति–खटीक, निवासी–जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अमानाराम पुत्र गोविन्दराम
2. खींयाराम पुत्र भंवरलाल
3. जगदीश पुत्र भंवरलाल
4. जोधाराम पुत्र भंवरलाल
5. पतासी पत्नी भंवरलाल
6. सुजाराम पुत्र भंवरलाल
7. वंशी पुत्र पाबुराम
   जातियान–राईका, निवासीगण–जायल, तहसील–जायल, नागौर।
8. प्रताप कंवर पत्नी दशरथसिंह , जाति–राजपूत, निवासी–जायल, जिला–नागौर।
9. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
3. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से।
4. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री शैलेन्द्रसिंह कावली अधिवक्ता वादीनी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 8 श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा जायल के खेत खसरा नं. 1509 रकबा 0.3399 भूमि का बंटवाड़ा वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 सहखातेदार के मध्य जरिये सहमति एवं ईकबाली जवाब अनुसार घोषणा खातेदारी की जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

1. वादीनी सीता देवी के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0.0485 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0.1620 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 8 से चिपता पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 8 प्रताप कंवर पत्नी दशरथसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1509 रकबा 0.3399 हैक्टेयर में से रकबा 0.1294 हैक्टेयर वादीनी के हक बंट से चिपता पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादपत्र में संलग्न नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग है।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 11/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

11/7/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/7/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

11/7/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)